रा.आ. बैंक- क्षे.ग्रा.बैंक - 02
पुनर्वित्त के संवितरण हेतु आवेदन

उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली- 110003

महोदय,

कृपया वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार पुनर्वित्त संवितरण किया जा सकता है। विशेष पुनर्वित्त योजना(ओं) के तहत अपेक्षित ब्योरा जिसके तहत पुनर्वित्त वांछित है, परिशिष्ट ______ में दिया गया है।

<table>
<tr><td>1.</td><td>आवेदन की तारीख</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संस्थान का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्ष</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.</td><td rowspan="6">वर्तमान वर्ष हेतु पुनर्वित्त सीमा
(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)</td><td>विवरण</td><td>जो लागू हो उस पर निशान लगाएं</td><td>(करोड़ रु.)</td></tr>
<tr><td>वार्षिक</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अग्रेनीत</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रयुक्त सीमा</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">बकाया सीमा</td><td></td></tr>
</table>

5.	संवितरण हेतु अनरोध की गई राशि			
6.	योजना जिसके तहत संवितरण वांछित है	*जो लागू हो उस पर निशान लगाएं*	(करोड़ रु.)	**संलग्न ब्योरा**
	ग्रामीण आवास निधि			परिशिष्ट 2
	शहरी आवास निधि			परिशिष्ट 3
	कुल			
7	31 मार्च, 20__ को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बहियों में बकाया कुल वैयक्तिक आवास ऋण			

8. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि :

(i) इन ऋणों के एवज में राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य संस्थान से कोई भी पुनर्वित्त/वित्त नहीं लिया गया है और पुनर्वित्त के लंबित रहने तक ये ऋण खाते भार-रहित रहेंगे।

(ii) वांछित पुनर्वित्त, संबंधित योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार दिए गए आवास ऋणों और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हमें समय-समय पर सूचित सामान्य नीति तथा निर्धारित सिद्धांतों को सुनिश्चित करते प्रस्ताव के संबंध में है।

(iii) वे ऋण जिनके लिए पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, बैंक के बहीखातों में दर्ज मौजूदा ऋण हैं और इस प्रपत्र में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुरूप हैं।

(iv) घटकों को दिये आवास ऋणों का उनके द्वारा उसी उदेश्य के लिये उपयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्रदान किये गये हैं।

(v) रा.आ. बैंक पुनर्वित्त के तहत आने वाले आवास ऋणों को राष्ट्रीय आवास बैंक की परिभाषा के अनुसार मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) हम उन सभी ऋणों की उचित रूप से पहचान करेंगे जिनके लिए रा.आ. बैंक से वित्तीय सहायता ली गई है और ऐसे सभी ऋणों की सूची बनाएंगे। ऐसे खातों से संबंधित सभी सूचना हमारे पास तुरंत उपलब्धता के लिये तैयार रखी जाएगी। वैयक्तिक आवास ऋण, रा.आ. बैंक के पुनर्वित्त के एवज में एक बार चिह्नित होने पर केवल रा.आ. बैंक के पूर्व अनुमोदन से बदले जाएंगे और वे कंपनी के बहीखाता में बने रहेंगे तथा स्पष्ट रुप से पहचाने जा सकेंगे। हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे बही ऋणों की सूची मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का वचन देते है। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त किए गए ऋणों की सूची उपलब्ध होगी ताकि निरीक्षण के दौरान आसानी से उनकी पहचान की जा सके।

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी सूचना/ विवरणियां शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएंगी।

9. पुनर्वित्त राशि .... बैंक (बैंक/ शाखा/ स्थान का नाम) में हमारे खाता सं. .... जिसका आईएफएससी कोड .... है, में जमा की जा सकती है।

10. पुनर्वित्त पर ब्याज मासिक आधार पर चक्रवर्धित होगा और तिमाही भुगतान किया जाएगा।

11. हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तुत चुकौती अनुसूची के अनुसार पुनर्वित्त चुकाने का वचन देते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

रा.आ. बैंक-क्षे.ग्रा.बैंक- 02 का परिशिष्ट 2

ग्रामीण आवास निधि के तहत
दावा का ब्योरा

1.	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त दावा किया गया है	**ग्रामीण आवास निधि**		
2.	दावे की राशि (करोड़ रु.)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3.	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4.	ब्याज दर का प्रकार	स्थिर		
5.	पुनर्वित्त दावे में शामिल आवास ऋणों का आकार-वार ब्योरा	**ऋण आकार**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**
		2 लाख रु. तक		
		2 लाख रु. से 5 लाख रु.		
		5 लाख रु. से 10 लाख रु.		
		10 लाख रु. से 15 लाख रु.		
		15 लाख रु. से 20 लाख रु.		
		कुल		
6.	पुनर्वित्त दावे में शामिल उधारकर्ताओं का वार्षिक आय-वार ब्योरा	**वार्षिक आय**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**
		1 लाख रु. तक		

		1 लाख रु. से 2 लाख रु.		
		2 लाख रु. से 3 लाख रु.		
		3 लाख रु. से 4 लाख रु.		
		4 लाख रु. से 5 लाख रु.		
		5 लाख रु. से 6 लाख रु.		
		6 लाख रु. से ऊपर		
		कुल		

7.	पुनर्वित्त दावे में शामिल ऋणों का लाभार्थी वर्गीकरण-वार ब्योरा										
सं.	**राज्य**	**सीमांत कृषक**		**महिलाएं**		**अ.जा/अ.ज जा**		**अल्पसंख्यक**		**अन्य**	
		सं.	**राशि (करोड़ रु.)**	**सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**	**सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**	**सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**	**सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**
(i)											
(ii)											
(iii)											
	कुल										

हम प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावे में शामिल ऋणों का संवितरण 1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद किया गया,

(iii) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है;

ग्रामीण क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि शाखा प्राधिकरण – जनगणना आंकड़े 2011 पर दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के मुख्य परिपत्र में भा.रि.बैंक द्वारा ग्रामीण केन्द्र के रूप में वर्गीकृत किए गए है। भा.रि.बैंक द्वारा 9999 तक की जनसंख्या को ग्रामीण केन्द्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र जिनके लिये ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत यथा परिभाषित, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को दिया गया है।

(v) जहां ऋण को सह-उधारकर्ताओं में से एक सदस्य के महिला होने के आधार पर 'कमजोर वर्ग' हेतु अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल वही मामले दावे के तहत शामिल किये गये हैं जहां इस प्रकार शामिल की गई महिलायें संपत्ति की सह-स्वामिनी हों।

(vi) इस दावे में केवल वही ऋण शामिल किए गए हैं जो कि ग्रामीण आवास निधि के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित आगे उधार देने की सीमा के मानदंड को संतुष्ट करते हो।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

रा.आ. बैंक-क्षे.ग्रा.बैंक- 02 का परिशिष्ट 3

शहरी आवास निधि के तहत
दावा का ब्योरा

1.	योजना जिसके अंतर्गत पुनर्वित्त दावा किया गया है	**शहरी आवास निधि**		
2.	दावे की राशि (करोड़ रु.)	<<अंकों में>>		
		<<शब्दों में>>		
3.	अवधि जिसके लिए पुनर्वित्त दावा किया गया *(3 वर्ष से 7 वर्ष)*	<<वर्ष और महीने>>		
4.	ब्याज दर का प्रकार	स्थिर		
5.	पुनर्वित्त दावे में शामिल आवास ऋणों का आकार-वार ब्योरा	**ऋण आकार**	**इकाईयों की सं.**	**राशि (करोड़ रु.)**
		2 लाख रु. तक		
		2 लाख रु. से 5 लाख रु.		
		5 लाख रु. से 10 लाख रु.		
		10 लाख रु. से 15 लाख रु.		
		15 लाख रु. से 20 लाख रु.		
		20 लाख रु. से 28 लाख रु.		
		कुल		
6.		**वार्षिक आय**	**इकाईयों**	**राशि**

	पुनर्वित्त दावे में शामिल आवास ऋणों का वार्षिक आय-वार ब्योरा		**की सं.**	**(करोड़ रु.)**
		1 लाख रु. तक		
		1 लाख रु. से 2 लाख रु.		
		2 लाख रु. से 3 लाख रु.		
		3 लाख रु. से 4 लाख रु.		
		4 लाख रु. से 5 लाख रु.		
		5 लाख रु. से 6 लाख रु.		
		कुल		

हम प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इस आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही हैं और इसे हमारी बहियों से सत्यापित किया जा सकता है;

(ii) इस दावा में शामिल ऋणों का संवितरण 01-04-2011 को या उसके बाद किया गया;

(iii) शहरी क्षेत्र जिनके लिये शहरी आवास निधि के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और आवास इकाईयों का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है;

(iv) शहरी क्षेत्र जिनके लिये शहरी आवास निधि के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों को उधारकर्ताओं को संवितरित किया गया है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से अधिक न हो;

(v) शहरी क्षेत्र की नई इकाईयां जिनके लिये शहरी आवास निधि के तहत पुनर्वित्त मांगा जा रहा है, में संवितरित ऋणों की सीमा महानगरीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपए तथा अन्य क्षेत्रों में 20 लाख रुपए से अधिक न हो और उन आवास इकाईयों के संबंध में संवितरित किया गया है जिनकी लागत महानगरीय क्षेत्रों में 35 लाख रुपए तथा अन्य क्षेत्रों में 25 लाख रुपए से अधिक न हो;

(vi) इस दावे में केवल उन्हीं ऋणों को शामिल किया गया हैं जो कि शहरी आवास निधि के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित आगे उधार देने की सीमा के मानदंड को संतुष्ट करते हो।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)